भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 427

19 नवम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : जैविक खेती को बढ़ावा देना

427. श्री विजय कुमार दुबेः

डॉ. निशिकांत दुबेः

श्री फिरोज़ वरूण गांधीः

श्री संगम लाल गुप्ताः

श्री रामदास तडसः

श्री सी.पी. जोशीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2019 में देश में जैविक खेती की वर्तमान स्थिति तथा ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कुल कितना क्षेत्र शामिल किया गया है;

(ख) कुशीनगर, यूपी सहित देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या योजनाएं परिकल्पित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई बजट निर्धारित किया है और यदि हां, तो उत्तर प्रदेश और कुशीनगर क्षेत्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में जैविक खेती के वित्तीय प्रभाव की जांच के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस जैविक परंपरागत कृषि को सस्ता और लाभकारी बनाने के लिए उपाय किये हैं/उपाय करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या देश में जैविक खेती और इसके लाभों में जैविक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश भर में कितनी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है और इन कार्यशालाओं में भाग लेने वाले किसानों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार की योजना बड़े पैमाने पर पॉलीहाऊस खेती को बढ़ावा देने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) तथा तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण के तहत देश में जैविक खेती के तहत कुल 27.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर है। जैविक खेती के तहत अब तक कवर किए गए राज्यवार क्षेत्र कवर का विवरण **अनुबंध-I** पर है।

(ख), (ग) तथा (ड.): समर्पित स्कीमों नामत: परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई-सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर-पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र स्कीम) के माध्यम से भारत सरकार देश में जैविक कृषि को प्रोत्साहित कर रही है। दोनों ही स्कीमों का उद्देश्य कलस्टर/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) आधारित रासायनिक मुक्त, कम इनपुट लागत, सतत जैविक खेती तथा किसानों को इनपुट लागत से लेकर मंडी लिंकेज तक समर्थन करना है।

जैविक खेती को अन्य स्कीमों यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत जैविक खेती नेटवर्क परियोजना के तहत भी समर्थन मिला है। कृषि प्रसंस्कृत खाद्य तथा निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण को बढ़ावा दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश में पीकेवीवाई के तहत 12400 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुशीनगर में 400 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है।

2015-16 के बाद अब तक पीकेवीवाई के तहत 1632 करोड़ रूपये तथा एमओवीसीडीएनईआर के तहत 645 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है। संबंधित स्कीमों के तहत यू.पी. सहित राज्यों को आवंटित बजट का राज्यवार विवरण **अनुबंध-।। एवं ।।।** पर है।

(घ) वर्ष 2017 के दौरान परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) स्कीम के लिए राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन विस्तार संस्थान (मैनेज) हैदराबाद ने प्रभाव अध्ययन आयोजित किया। यह बताया गया कि खेती की लागत में 10-20 प्रतिशत की कमी आई थी और जैविक खेती के निवल आय में 20-50 वृद्धि हुई थी। कुछ कलस्टर मे अधि मूल्य (30 प्रतिशत तक) देखा गया है जो कि बड़े शहरों के निकटतम है और जिनका बड़ी मंडियों के साथ अच्छा जुड़ाव है।

(च) पिछले 3 वर्षों में पीकेवीवाई तथा एमओवीसीडीएनईआर स्कीम के तहत देश में किसानों के लिए क्रमश: 115314 एवं 2050 क्षमता बिल्डिंग प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित किए गए, जबकि कार्यशाला में क्रमश: भाग लेने वाले किसानों की संख्या 14.93 लाख तथा 82294 है। उत्तर प्रदेश में 2300 कार्यशालाएं आयोजित की गईं और 31000 किसानों ने भाग लिया।

राज्यों के अलावा, जैविक खेती तथा इसकी तकनीकों को बढ़ाने के लिए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) का अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र (एनसीओएफ), गाजियाबाद जैविक

खेती पर नियमित प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम, किसानों को प्रशिक्षण/जैविक उत्पादकों तथा वर्मी कम्पोस्ट पर विस्तृत कर्मचारी कौशल विकास प्रशिक्षण भी आयोजित कर रहा है।

(छ) एमआईडीएच के संरक्षित खेती घटक के अंतर्गत पॉलीहाऊस बनाने के लिए भी सहायता दी जाती है, जो पौधों को विषम जलवायु परिस्थितियों से सुरक्षा देता है तथा उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ इष्टतम उपज प्राप्त करने के लिए प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, कार्बन-डाईक्साइड आदि का उचित परिमाण प्रदान करता है।

एमआईडीएच स्कीम की शुरूआत से अर्थात वर्ष 2014-15 से अब तक 2380.49 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को ग्रीन हाउस संरचना जैसे पॉलीहाऊस में शामिल किया गया है।

अनुबंध-I

लो.स.अता.प्र.सं.427

वर्ष 2019-20 से अब तक के लिए जैविक खेती के तहत कवर किया गया राज्य वर क्षेत्र (क्षेत्र हैक्टे. में)						
क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम (एनपीओपी)*		परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)	पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआ)	गैर योजना / राज्य योजनाएं
		जैविक क्षेत्र	रूपांतरण में			
1	आंध्र प्रदेश	13763.38	18747.33	106000	0	5955
2	अरुणाचल प्रदेश	627.15	8619.79	380	8500	4010
3	असम	15223.47	12951.20	4400	6926	3118
4	बिहार	1.20	3518.31	8540	0	150
5	छत्तीसगढ़	7356.54	13869.17	24000	0	26106
6	गोवा	10696.37	2612.45	10080	0	-
7	गुजरात	60185.40	33655.88	2000	0	7601
8	हरियाणा	2291.85	3686.63	400	0	560
9	हिमाचल प्रदेश	8527.13	4537.90	4200	0	1127
10	जम्मू और कश्मीर	17558.76	7444.13	560	0	129
11	झारखंड	2977.17	21339.70	5000	0	1343
12	कर्नाटक	57018.08	26080.70	10900	0	17415
13	केरल	19232.89	19171.34	12380	0	3354
14	लक्षद्वीप	895.51	0.00	2700	0	-
15	मध्य प्रदेश	379996.68	294055.17	76560	0	5625
16	महाराष्ट्र	158097.14	92837.19	25160	0	7650
17	मणिपुर	241.40	5219.42	600	12500	561
18	मेघालय	1612.69	46797.05	900	6430	-
19	मिजोरम	0.00	7039.89	680	6656	64
20	नागालैंड	2751.17	5517.39	480	13000	1112
21	दिल्ली	0.72	0.00	10000	0	15
22	ओडिशा	73124.10	22615.61	20800	0	1388
23	पांडिचेरी	2.84	0.00	560	0	-
24	पंजाब	317.75	8590.84	5000	0	3116
25	राजस्थान	110240.21	113751.25	123000	0	2564
26	सिक्किम	73654.88	2144.04	3000	12435	63565*
27	तमिलनाडु	4314.61	18144.94	6240	0	1301
28	तेलंगाना	6322.92	2436.60	13800	0	5030
29	त्रिपुरा	203.56	2330.96	1000	5045	-
30	उत्तर प्रदेश	44802.36	18035.77	12400	0	3923
31	उत्तराखंड	20052.26	16606.29	89700	0	1419
32	पश्चिम बंगाल	4984.20	1305.45	2400	0	145
33	अंडमान	-	7484.00	1360	0	-
34	दमन और दीव	-	-	1100	0	21
35	दादर नगर	-	-	10000	0	-
36	चंडीगढ़	-	-	1300	0	2002
कुल		**1097074.39**	**841146.40**	**597180**	**71492**	**170369**

सकल कुल (एनपीओपी, पीकेवीवाई एवं एमओवीसीडीएनईआर के तहत कवर किया गया क्षेत्र): 27.77 लाख

*** ट्रेसनेट पर एनपीओपी के तहत मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों द्वारा स्रोत डेटा प्रदान किया गया है।**

अनुबंध- II

लो.स.अता.प्र.सं.427

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान डीएसीएंडएफडब्ल्यू द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीकेवीवाई योजनाओं के तहत जारी राज्यवार आवंटन और निधि का विवरण (लाख रुपये में)

क्र.		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
सं.	राज्य का नाम	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति
1	आंध्र प्रदेश	1854.47	1100.15	1308.50	798.17	2323.09	656.18	9673.14	6799.76	9484.48	0.00
2	बिहार	1400.49	1050.37	988.17	664.26	1002.14	214.14	508.19	0.00	387.49	0.00
3	छत्तीसगढ़	805.17	603.88	568.12	314.78	381.32	339.85	2055.86	1009.80	2101.86	0.00
4	गुजरात	428.28	178.45	302.19	238.83	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00	666.74
5	गोवा	17.13	7.14	12.09	0.00	7.02	0.00	1009.80	497.76	1040.40	0.00
6	हरियाणा	85.66	53.53	60.44	45.98	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	झारखंड	428.28	321.21	302.19	203.14	817.92	321.21	1967.99	0.00	1823.84	0.00
8	कर्नाटक	2334.15	1945.12	1646.96	815.27	956.43	1224.64	1009.80	408.21	1040.40	80.47
9	केरल	509.66	382.22	359.61	0.00	2350.26	1377.95	1733.13	0.00	1106.35	0.00
10	मध्य प्रदेश	3768.90	2826.67	2659.31	1787.60	3685.75	2884.65	6454.95	2471.99	5971.26	2581.68
11	महाराष्ट्र	3991.61	2598.51	2816.45	2957.59	3031.79	698.10	1692.01	0.00	1300.38	1683.26
12	ओडिशा	1370.51	1027.88	967.02	650.03	561.57	610.60	1454.11	1337.65	1498.18	0.00
13	पंजाब	214.14	160.60	151.10	0.00	944.31	428.28	806.35	0.00	559.06	292.38
14	राजस्थान	3233.55	2373.69	2281.56	1491.13	3016.69	845.86	11291.67	5049.00	11097.19	0.00
15	तमिलनाडु	479.68	399.73	338.46	207.26	196.55	194.64	403.92	564.10	416.16	468.64
16	तेलंगाना	1284.85	1070.71	906.58	448.77	2196.78	835.15	1178.56	0.00	684.42	0.00
17	उत्तर प्रदेश	2462.64	2052.20	1737.62	1270.64	1201.80	934.94	1145.79	1280.26	1119.37	322.49
18	पश्चिम बंगाल	513.94	214.14	362.63	393.66	210.59	374.07	0.00	0.00	0.00	0.00
19	असम	1413.34	576.39	997.24	0.00	579.12	1804.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20	अरुणाचल प्रदेश	122.06	51.41	86.13	81.08	50.02	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21	मिजोरम	218.43	89.08	154.12	138.65	89.50	211.94	0.00	22.37	0.00	0.00
22	मणिपुर	192.73	107.07	135.99	0.00	78.97	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
23	नागालैंड	154.18	154.18	108.79	0.00	63.18	128.98	0.00	42.99	0.00	0.00
24	सिक्किम	963.64	409.11	679.94	0.00	394.86	0.00	0.00	656.81	0.00	0.00
25	त्रिपुरा	321.21	133.84	226.65	308.83	131.62	164.81	0.00	72.00	0.00	0.00
26	मेघालय	289.09	144.55	203.98	296.00	118.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	हिमाचल प्रदेश	706.67	395.00	498.62	0.00	931.99	1118.79	680.50	0.00	497.33	364.49
28	जम्मू और कश्मीर	179.88	74.95	126.92	87.81	73.71	0.00	75.74	0.00	78.03	0.00
29	उत्तराखंड	3533.35	1962.97	2493.10	2019.40	1672.65	2780.50	11973.31	10780.71	12264.81	1033.95
30	अंडमान और निकोबार	485.39	130.00	342.49	0.00	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	392.59	235.55	277.01	0.00	160.87	0.00
32	दादर नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	3569.04	1000.00	2518.28	0.00	1462.43	0.00
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	3569.04	471.45	2518.28	0.00	1462.43	0.00
34	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	57.10	28.55	40.29	0.00	92.76	0.00
35	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.79	77.42	225.42	0.00
36	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.41	227.20	468.18	0.00
37	अन्य खर्चे	0.00	24.85	0.00	63.00	0.00	317.91	0.00	1648.30	0.00	557.83
	कुल	**33763.09**	**22619.60**	**23822.96**	**15281.88**	**35065.33**	**20346.29**	**61141.89**	**32946.34**	**56343.09**	**8051.94**

अनुबंध- III

लो.स.अता.प्र.सं.427

पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन

तालिका: वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान राज्यवार बजट आवंटन एवं निर्मुक्ति

रुपए लाख में

क्र. सं.	राज्य	बजट आवंटन	निर्मुक्त राशि	बजट आवंटन	निर्मुक्त राशि	बजट आवंटन	निर्मुक्त राशि	बजट आवंटन	निर्मुक्त राशि	बजट आवंटन	निर्मुक्त राशि
		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
1	असम	2439.3	2207.32	526.22	231.98	1423.47	-	1762.61	2764.104	1769.51	434.99
2	मणिपुर	1174.42	803.73	1102.88	736.79	1788.42	1788.42	2407.10	2953.96	2333.33	1166.665
3	मेघालय	2070.24	1293.22	926.1	463.05	940.71	940.71	2857.79	1646.97	1472.028	
4	नागालैंड	1426.74	627.86	1244.85	1244.85	1927.75	1927.75	2096.13	2745.73	2014.99	1511.24
5	मिजोरम	1882.43	913.34	1300.35	969.09	583.44	291.72	1019.12	1019.12	2358.60	1179.30
6	अरुणाचल प्रदेश	1301.96	779.31	1053.36	522.65	1181.45	1181.45	1634.39	1870.56	1727.212	1846.76
7	सिक्किम	5013.31	4216.08	2077	0	687.88	-	883.85	2459.33	1829.90	
8	त्रिपुरा	578.58	370.13	594.24	594.24	491.88	491.88	1789.01	1789.01	1337.43	1003.07
	कुल	**15886.98**	**11210.99**	**8825.00**	**4762.65**	**9025.00**	**6621.93**	**14450**	**17248.78**	**14843**	**7142.025**
	कार्यालय का खर्चा	-	-	1175.00	105.77	975.00	26.14	1550.00	20.79	1157.00	394.35
	कुल योग	**15886.98**	**11210.99**	**10000.00**	**4868.42**	**10000.00**	**6648.07**	**16000.00**	**17478.024**	**16000.00**	**7536.375**

****